

श्रीमान सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी महोदय,

ग्राम पंचायत.....

पंचायत समिति

विषय :- ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार जारी पट्टों का नामान्तरण /हस्तान्तरण करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा मेरे पिताजी श्री पुत्र श्रीजाति.....निवासी..... के नाम से पुस्तक संख्या.....विक्रय विलेख संख्या.....दिनांक को जारी किया गया था। परन्तु मेरे पिताजी की मृत्यु होने के कारण उक्त विक्रय विलेख का निर्धारित अवधि में उप पंजीयन कार्यालय से पंजीयन नहीं करा पाया। अतः आपसे निवेदन है कि रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 157(1) प्ररूप-23 क के अन्तर्गत जारी पट्टा विलेख का ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4 (86) नामान्तरण/विधि/परा/2018/603 जयपुर दिनांक 09.05.2018 की अनुपालना में जारी आबादी भूमि के पट्टे को मेरे नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण करने का श्रम करे। जिससे मैं अपने नाम विक्रय विलेख का पंजीयन करा सकु।

सलंगन :- 1 मूल विक्रय विलेख(पट्टा)

2 मूल विक्रय विलेख (पट्टा) फोटो प्रति

3 पट्टा जारी की रसीद

4 आधार कार्ड 5 मतदाता पहचान पत्र

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम.....

पिता का नाम.....

जाति.....

निवासी.....

मो0नं0

आज्ञाओ की सूचि
ग्राम पंचायतपंचायत समिति.....जिला परिषद.....

क्र०स०	तारीख	कार्यवाही विवरण	आगामी सुनवाई की तारीख
(1)		श्रीमान जी निवेदन है कि श्रीपुत्र. जाति.....निवासी..... ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 157 (1) प्ररूप-23-क के अन्तर्गत पट्टा विलेख का नामान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड से मिलान करने पर पाया गया कि पट्टा संख्या.....पुस्तक संख्या.....दिनांक.....को ग्राम पंचायत द्वारा श्री.....पुत्र.....जाति.....निवासी.....के नाम से जारी किया हुआ है अतः रा.प.रा नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा विलेख का ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4 (86) नामान्तरण/विधि/परा/2018/603 जयपुर दिनांक 09.05.2018 की अनुपालना में जारी आबादी भूमि का के पट्टे का नामान्तरण/हस्तान्तरण किया जाना है पत्रावली अवलोकनार्थ तथा आदेशार्थ प्रस्तुत है। ग्राम विकास अधिकारी	
(4)		सरपंच / पत्रावली आगामी पंचायत बैठक में अनुमादन हेतु प्रस्तुत करे। सरपंच ग्राम विकास अधिकारी	

आज्ञाओ की सूचि

ग्राम पंचायत पंचायत समिति..... जिला परिषद.....

क्र०स०	तारीख	कार्यवाही विवरण	आगामी सुनवाई की तारीख
(1)		ग्राम विकास अधिकारी द्वारा श्री पुत्र..... जाति..... निवासी..... के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर श्री पुत्र जाति..... निवासी की मृत्यु होने के कारण जारी पट्टा संख्या दिनांक की पत्रावली आज बैठक में पेश कर अवगत कराया कि उपरोक्त प्रार्थी का पट्टा विलेख रा.प.रा. नियम 1996 के नियम 157(1) (ख) के अधीन जारी किया गया है जिसका ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4 (86) नामान्तरण/विधि/परा/2018/603 जयपुर दिनांक 09.05.2018 की अनुपालना में जारी आबादी भूमि का के पट्टे का नामान्तरण/हस्तान्तरण 100 रुपये की फीस लेकर जारी किया जा सकता है। जिसका उपस्थित सदस्यो द्वारा अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि पट्टा विलेख रा.प.रा नियम 1996 के नियम 157(1) (ख) के अधीन जारी किया गया है अतः ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के पत्रक्रमांक एफ 4 (86) नामान्तरण/विधि/परा/2018/603 जयपुर दिनांक 09.05.2018 की अनुपालना में जारी आबादी भूमि के पट्टे का नामान्तरण/हस्तान्तरण 100 रुपये की फीस लेकर प्रार्थी श्री..... पुत्र..... जाति..... निवासी..... के नाम समस्त वारीसान द्वारा हकत्याग प्रमाण पत्र के आधार पर सम्पूर्ण हिस्सा (लम्बाई चौड़ाई..... कुल वर्गफीट) हस्तान्तरित/जारी किया जावें। जिसका पंचायत बैठक दिनांक के प्रस्ताव संख्या द्वारा अनुमोदन किया गया है। अतः नामान्तरण/हस्तान्तरण आदेश हस्ताक्षर कर जारी करने हेतु प्रस्तुत है। ग्राम विकास अधिकारी सरपंच/ पत्रावली आगामी पंचायत बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे। सरपंच ग्राम विकास अधिकारी	
(4)			

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....

क्रमांक :

दिनांक:

—: विक्रय विलेख नामान्तरण/हस्तान्तरण आदेश :-

श्री.....पुत्र.....जाति.....निवासी.....
.....ने श्रीपुत्र श्रीजाति.....
.....निवासी.....की मृत्यु होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टे का रा.प.रा. नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी विक्रेय विलेख का ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के पत्रक्रमांक एफ 4 (86) नामान्तरण/विधि/परा/2018/603 जयपुर दिनांक 09.05.2018 की अनुपालना पूर्व में जारी पट्टा विलेख संख्या.....दिनांक..... का नामान्तरण/हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका पंचायत में उपलब्ध रिकार्ड से मिलान करने तथा वारीसान द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा श्री.....के नाम हकत्याग करने पर ग्राम पंचायत पाक्षिक दिनांकप्रस्ताव संख्या.....के अनुमोदन उपरान्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश संख्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग के पत्रक्रमांक एफ 4 (86) नामान्तरण/विधि/परा/2018/603 जयपुर दिनांक 09.05.2018 की अनुपालना पूर्व में जारी आबादी भूमि के विक्रय विलेखों पंचायतराज नियम 1996 के नियम 157(1) प्ररूप 23 (क) में 100 रुपये का शुल्क प्राप्त कर कार्यालय की मोहर सहित अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा नामान्तरण/हस्तान्तरण हेतु आदेशित किया जाता है।

सरपंच

ग्राम विकास अधिकारी

क्रमांक

दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति
2. श्री
3. रक्षित पत्रावली।

सरपंच

ग्राम विकास अधिकारी